लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (गुमा लाईम स्टोन माईन) द्वारा ग्राम गुमा, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में प्रस्तावित लाईम स्टोन माईन 3.2 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज़ एरिया 157.122 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10.02.2016 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (गुमा लाईम स्टोन माईन) द्वारा ग्राम गुमा, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में प्रस्तावित लाईम स्टोन माईन 3.2 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज़ एरिया 157.122 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर तथा हिंदुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 10 फरवरी 2016 दिन बुधवार को समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक ग्राम गुमा में पौंसरी नाला के समीप में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई।

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 10.02.2016 को अपर कलेक्टर बलौदाबाजार श्री एम. कल्याणी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, श्री सिंग एस.डी.ओ.पी., उद्योग प्रतिनिधि श्री एस.पी. चंद्रवाल, डॉ0 के.वी. रेड्डी तथा मान्नीय विधायक श्री जनक लाल वर्मा, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग पांच सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 11:12 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. **उद्योग प्रतिनिधि** डॉ0 के.वी. रेड्डी ने प्रस्तुतीकरण दिया। श्री रेड्डी ने बताया कि खन्न पट्टा क्षेत्र 157.122 हेक्टेयर है, जिसमें उत्पादन क्षमता 3.2 एम.टी है, हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादन क्षमता अल्ट्राटेक सीमेन्ट की है तथा दुनिया मे 10 नम्बर पर है। भारत में 15 राज्यों में 12 बड़े प्लान्ट व 15 ग्राईन्डिंग प्लान्ट है एवं छत्तीसगढ में दो सीमेन्ट प्लान्ट रावन सीमेन्ट वर्क्स तथा दूसरा हिरमी सीमेन्ट वर्क्स है। रावन सीमेन्ट वर्क्स के लिये 4.6 एम.टी चूना पत्थर की आवश्यकता है, जिसके लिये यह जन सुनवाई रखी गई है। यह माइनिंग परियोजना 'ए' श्रेणी के अंतर्गत आती है। माईनिंग परियोजना का विस्तृत अध्ययन नियमानुसार किया गया है। 157.122 हेक्टेयर लीज एरिया में 3.2 एम.टी. चूना पत्थर का खन्न प्रस्तावित है, यह खनीज पटटा क्षेत्र ग्राम गुमा में आता है जो बलौदाबाजार जिले के अन्तर्गत है। इस परियोजना हेतु कुल लागत 50 करोड़ रूपये

अनुमानित है, जिसमें 1.5 करोड़ रूपये का प्रावधान पर्यावरण के लिये रखा गया है। यह परियोजना गुमा ग्राम से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा बलौदाबाजार जिले से 15 कि.मी. की दूरी पर है, इस परियोजना के अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नही आता है, साथ ही कोई संरक्षित वन क्षेत्र भी नही आता है, कुछ जल स्त्रोत प्रस्तावित परियोजना से 10 कि.मी. की दूरी पर हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी अध्ययन रिपोर्ट में दर्शाई गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत 62.16 मिलियन टन चूनापत्थर का भंडारण है, जिसका 3.2 मिलियन टन की दर से 19 वर्षों तक उत्खनन किया जायेगा, इस परियोजना में 40 मीटर गहराई तक खनन किया जायेगा एवं 8 मीटर बेंच हाईट होगी, परियोजना हेतु 150 किलोलीटर/दिन जल खपत तथा 2 मेगावॉट बिजली का भी उपयोग इसमें होगा। इस परियोजना में ड्रिल, शावेल, डम्पर का उपयोग होगा, खदान की उपरी सतह (काली मिटटी) को हटाने के दौरान जल छिड़काव के साथ मशीन में इनबिल्ट बैग फिल्टर का भी उपयोग किया जायेगा, जिससे धूल ना उड़े, साथ ही उपलब्ध नवीनतम तकनीक के अनुसार सिक्वेंशियल ब्लॉस्टिंग की जायेगी, लोडिंग के दौरान एवं हाल रोड पर जल छिड़काव किया जायेगा। क्रशर में जल छिड़काव के साथ बैग फिल्टर का भी प्रस्ताव है। उन्होने बताया कि परियोजना के आरंभ के तीन वर्षों तक उत्पादन क्षमता कम रहेगी, चौथे वर्ष 3.2 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। उन्होने बताया कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन किया गया है, यह अध्ययन परियोजना क्षेत्र के 10 कि.मी. के दायरे में किया गया है तथा भारत सरकार के मापदण्डों पालन किया जायेगा। सेकेन्ड्री ब्लॉस्टिंग हेतु रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा साथ ही 50 मीटर चौड़ाई का ग्रीन बेल्ट एरिया भी डेवलप किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में गाड़ियों की वॉशिंग से जनित दूषित जल हेतु आयल सेप्रेटर की व्यवस्था प्रस्तावित है, इस परियोजना के अंत में 43.04 हेक्टेयर खनन क्षेत्र को ठोस अपशिष्ट से भरा जायेगा, 157.122 हेक्टेयर खन्न पट्टा क्षेत्र में 148.942 हेक्टेयर खनन क्षेत्र होगा तथा 105.902 हेक्टेयर क्षेत्र को जलाशय में परिवर्तित किया जायेगा। श्री रेड्डी द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के संबंध में जानकारी दी गई।

6. अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है। उन्होने उपस्थित जन–समुदाय से आग्रह किया कि पर्यावरण के संबंध में विचार रखे जावें तथा आपत्ति, सुझाव, लिखित में भी दिये जा सकते हैं।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री सोमनाथ साहू, ग्राम गुमा ने कहा कि कंपनी वाले यहां बहुत बड़ी–बड़ी बात किये हैं, लेकिन क्या आप उन सभी बातों को लिखित में दे सकते हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, अगर लिखित में दे सकते हैं, तो लिख के दे दीजिए तब मानेंगे कि ग्रामीणों को रोजगार, सही ढंग से पर्यावरण मिल सकेगा, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार तभी विकास सभंव है, विकास की बहुत बड़ी–बड़ी बात करते हैं, विकास कहां से शुरू होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सबसे पहले रोजगार मिलेगा वहीं से प्रारम्भ होता है विकास। मैं निवेदन करता हूं कि, कम से कम लिखित में दें कि हमको रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा मिल सके।

2 श्री प्रभाकर मिश्रा, ग्राम पौंसरी ने कहा कि, जिस जमीन की माईनिंग लीज के लिए प्रक्रिया चल रही है, उसमें 150 किसानों की जमीन कंपनी ने खरीदी है, उन खातेदारों में से 85

खातेदारों का मैं खाता मुख्तियार हूं, उनकी तरफ से मैं पर्यावरण की जनसुनवाई पर आपत्ति प्रस्तुत करता हूं, अभी श्री रेडडी ने बताया कि 95 आदमियों को नौकरी देंगे, यहां 95 लोगों को काम दिया जाना है, 1200 की आबादी में बाकी लोग घर में बैठेंगे, उसके अलावा जिन 85 किसानों ने मुझे मुख्तियारनामा दिया है, उनको पुनर्वास का पैसा नहीं मिला है, भाटापारा सेशन कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जब तक कोर्ट से प्रकरण का निपटारा नहीं होता तब तक पर्यावरण विभाग की आपत्ति देने का कोई औचित्य नहीं है, न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के बावजूद भी आज जनसुनवाई कराई जा रही है, आपत्तियां आती है उसके बाद भी पर्यावरण के अधिकारी न मालूम कैसे अनापत्ति देते हैं, कारण बताया जाता है कि पर्यावरण से संबंधित कोई आपत्ति नहीं आई, कंपनी को 2009 में सैद्धांतिक निर्णय जारी हुआ जिसमें कंपनी को शासन ने लिखा कि, कंपनी को माईनिंग लीज तभी जारी होगी जब वो निजी किसानी भूमि स्वामी से सहमति प्राप्त करे और पुनर्वास नीति का पालन करे, तीसरे नंबर में था पर्यावरण विभाग से अनुमति ले, जब कंपनी सैद्धांतिक निर्णय का ही पालन नहीं कर रही, तो इन सब चीजों को बताने का क्या मतलब, जिस सैद्धांतिक निर्णय के आधार पर ये माईनिंग लीज होनी है, उसी का पालन नहीं हो रहा है, इसके अलावा जितने भी लोग आपत्ति करते हैं, वो सारी की सारी चीजें रिकार्ड से गायब हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले आप सब जानते है ग्राम गुमा में मोनेट सीमेंट की जनसुनवाई हुई थी, उसमें गांव के सारे लोगों ने आपत्ति की, कि चारागाह की जमीन छोड़ी जाये, लोगों को 50 लाख रू. प्रति एकड़ जमीन का रेट दिया जाये, सारी चीजें आन रिकार्ड गायब हो चुकी हैं और ग्राम गुमा के पंचायत से ग्राम पौंसरी की जमीन का प्रस्ताव करवा दिया गया, सरपंच को बोला गया ग्राम गुमा की जमीन है, नीचे कार्यवाही में ग्राम पौंसरी की जमीन लिखा दिया गया, कार्यवाही होने के बाद बोलते हैं कि, ग्राम पौंसरी की जमीन कंपनी को व्यपवर्तित की जावे। ग्राम पौंसरी पंचायत, भरूवाडीह पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें लिखा है कि किसी भी शासकीय जमीन अथवा वनभूमि के व्यवस्थापन से संबंधित कोई प्रस्ताव ग्रामसभा में पारित नहीं हुआ है, कंपनी के अधिकारियों द्वारा फर्जी तरीके से यह कार्यवाही की गई है। अब अगर कंपनी के अधिकारी फर्जी तरीके से कोई भी कार्यवाही करते हैं, तो उसकी जानकारी किसानों को कैसे होगी जब तक रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं रहेगा, विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही हो चाहे कुछ हो, रिकार्ड मिलता ही नहीं है। ग्राम पौंसरी के 8 पंचों ने एसडीएम साहब को एक आवेदन दिया कि मोनेट की जनसुनवाई से संबंधित रिकार्ड हमारे ग्राम पंचायत में नहीं है, इसको दिया जाये तीन महीने से सूचना का अधिकार में आवेदन लगाने के बाद भी जानकारी नही दी जा रही है, अभी अपील प्रकरण चल रहा है, 15 तारीख को पेशी है। अगर किसानों को पुनर्वास का पैसा नहीं दिया जाता और नियमतः कार्यवाही नहीं की जाती, और अगर पर्यावरण की एनओसी दी जायेगी तो विवश होकर न्यायालय में मामला पेश करना पड़ेगा। ग्राम गुमा के 85 खातेदारों, आधे से अधिक खातेदारों की तरफ से मैं आपत्ति पेश कर रहा हूं, मेरी मांग है कि ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव गांव के लोंगो को देखना चाहिये कि हमारे गांव में जो जनसुनवाई हुई है उसमें प्रस्ताव क्या हो रहा है, अधिकारी अपनी मर्जी से कोई भी काम कर लेते हैं, 22 तारीख को खपराडीह में पर्यावरण विभाग की जनसुनवाई हुई थी, उसमें सारे लोगों ने विरोध किया, मे0 श्री सीमेंट के युनिट हेड ने गांव के कुछ दलालनुमा लोगों को पकडा कुछ–कुछ किसानों से दस्तखत करवाये सहमति के लिए और सहमति के लिए दस्तखत करवाने के बाद पर्यावरण विभाग भेज दिया जब एनओसी के लिए जनसुनवाई की जा रही है और पब्लिक मीटिंग में लोगों द्वारा आपत्ति नहीं की गई तो बाद में लोगों के द्वारा जो सहमति दी जा रही है उसको पर्यावरण विभाग किस आधार पर लेता है इसके लिए भी ग्राम पंचायत भरूवाडीह में प्रस्ताव हुआ है कि भरूवाडीह ग्राम पंचायत इस एनओसी का विरोध करती है, क्योंकि पहली युनिट की जमीन खरीदी में कपंनी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, उनको जमीन का पूरा रेट नहीं दिया, ये दोनो रिकार्ड पंचायत के प्रस्ताव हैं, जिसको भी देखना है पंचायत का प्रस्ताव देख

सकता है, तो अगर जो भी कार्यवाही की जा रही है उसकी कापी यहां दी जावे और किसानों को पुनर्वास का पैसा दिया जावे, तीसरी बात आती है कि खदान को पाटेंगे, 45 हेक्टेयर जमीन जब खदान खोदने के बाद पाटने वाले हैं, तो देश की नंबर 1 सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और दुनिया की 10 वे नंबर की कपनी ने कितनी पुरानी खदान खदानों को पाटा है, दो खदानें तो यहीं पास में हैं, दिखाई दे रहा है किसी को नहीं पाटा गया, जब पाटने का नियम है, तो पहले पुरानी खदाने पटवा दें पर्यावरण विभाग उसके बाद ही दूसरी खदान के लिए मंजूरी दें।

3 श्री कमल कुमार साहू, ग्राम सरसेनी ने कहा कि, आज गुमा माईन्स का मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज अगर ये माईन्स आती है तो जो सरकार के जो नियम है उसका कंपनी पालन करेगी, और रावन, हिरमी, झीपन को जो पानी देने की प्रक्रिया चल रही है, उसे यहां भी लागू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो यंहा के युवा साथी है अपना अनुभव रखे काम करने की योग्यता रखें और कंपनी से भी आशा करता हूं कि हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, उनको काम दें।

4 श्री हरीश कुमार वर्मा, ग्राम गुमा ने कहा कि, आप सभी का आज हमारे ग्राम में जनसुनवाई में स्वागत है, इसका उदेश्य है कि ग्राम गुमा में खदान प्रारम्भ किया जाना है। हमे इस बात का कोई ऐतराज नहीं है, जमीन तो आप हम सब दे चुके हैं, प्लांट वाले खरीद चुके हैं, परन्तु हम चाहते हैं स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार, नौकरी में प्राथमिकता दी जावे, गांव को सुन्दर बनाने में सहयोग प्रदान करें, पानी स्वच्छ एवं प्रायोगिक शिक्षा, व्यवसाय में भरपूर सहयोग दें, सभी बेरोजगार भाईयों और साथियों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जावे।

5 श्रीमती गिरिजा बाई ध्रुव, पूर्व सरपंच ग्राम गुमा ने कहा कि, मैं यही कहना चाहती हूं कि हमारे गांव गुमा की ये जनसुनवाई है और जो भी हमारे गुमा के किसान हैं उन सभी को मैं बोलना चाहती हूं कि अपनी अपनी मांग रखें, इसमे किसी दूसरे गांव को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जितना भी हो सके हमारे गांव के युवा अपना विचार रखें, इस गांव में जिनकी भी जमीन बेची गई है, वे सभी किसान इस मंच में अपनी बात रखें, मैं इस मंच से यही कहना चाहती हूं कि हमारे गांव की जितनी महिलायें हैं, वे सभी बहने अपने विचार इस मंच में रखें, ताकि हमारी बात को कंपनी वाले भी सुने और जो भी जनप्रतिनिधि आये हैं, वो भी हमारी बात का सम्मान करें। मैं यही कहना चाहती हूं कि हमारे गांव में माईन्स खुले, इससे हमे कोई आपत्ति नहीं है, इसके साथ साथ हमारे गांव के जो भी युवा हैं उनको रोजगार मिले और जितना भी रोजगार मिले हमारे गांव के युवाओं को ही मिले जिसकी जितनी योग्यता/प्राथमिकता है, उनको उसी के आधार में काम दिया जावे, माईन्स खुलने से हमे कोई दुख नहीं है, हमे मात्र इस बात का दुख होगा कि हमे रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी को हटाने के लिए ही हम इस जनसुनवाई में अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मैं सयंत्र वाले को यह भी कह रही हूं कि जो भी हमारे गांव की शासकीय निस्तारी भूमि है, उसका भी ध्यान रखें, इसके बदले में हमे दूसरी जमीन दी जावे। अभी तक हमारे आदिवासी भाईयों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, जमीन खरीदते आज पांच साल हो गये, लेकिन पांच सालों में ये लोग हमें मंजूरी नहीं दिलाये हैं, पांच वर्ष में जो भी गैर आदिवासी की जमीन खरीदे हैं, उन सभी को 15 लाख रू मिल गये हैं, और हमारे आदिवासी भाई लोग जमीन को एक लाख रू में रजिस्ट्र कराके आज चुपचाप बैठे हैं, मैं जिला अधिकारी को यही कहना चाहती हूं कि जो भी 5 साल के अंतराल में याने कि अभी जमीन खरीदी होगी उसका समर्थन मूल्य हमें मिलना चाहिए जैसे कि 15 लाख रू ब्याज सहित हमारे जमीन को अभी उसी दर में खरीदें, यही मेरा कहना है और हमे माईन्स लगने का कोई दुख नहीं है। हमे मात्र यही कहना है कि, हमसे संबंध बना के रखें, हम लोग

बिल्कुल सहयोग देंगे, हमारे गांव के बेरोजगार को रोजगार दें, और हमारे गांव की जो भी समस्या है, उसको हल करें। मैं पूर्व में पांच साल से सरपंच थी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, और हमारी बात सुनी गई है, और मैं यह कामना करती हूं कि हमारी बात हमेश सुनी जावेगी। हमारे गांव में माईन्स लगायेंगे तो हमारी बात का हमेशा सम्मान करें, यही मैं कहना चाहती हूं।

6 श्री रोमनाथ वर्मा, ग्राम गुमा ने कहा कि, कल रात्रि में सभी गांव वाले एक होकर के मीटिंग रखे थे, उसमें सभी लोगों के विचार को पढ़ के सुना रहा हूं, इसको आप लोग गंभीरता से लें और प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे भी अनुरोध है और कंपनी वालों से भी अनुरोध है कि हमारी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और अमल में लावें, इन्ही बातों के कारण कंपनी से हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। यदि हमारी मांग पूरी हो जायेगी तो कंपनी से हमारा तालमेल अच्छा रहेगा और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोजेक्ट लगने वाला है वो भी सुचारू रूप से चलेगा, नहीं तो बीच–बीच में हड़ताल आदि होते रहता है। यहां कई कंपनियां हैं, जहां गांव वालों से हरदम टकराव की स्थिति बनी रहती है। मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है, उसे पढ़ के सुना रहा हूं :– आज दिनांक 08.02.2016 दिन सोमवार को ग्रामसभा की मीटिंग रखी गई, जिसमें उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार जिस जमीन का आपकी लीज के अंदर कब्जा है, उसे आप तत्काल खरीदें, विशेष रूप से आदिवासी भाईयों की जमीन, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे कलेक्टर महोदय भी कुछ आदिवासियों की जमीन की स्वीकृति दिये हैं, और शेष आदिवासियों को स्वीकृति नहीं मिली है, उसका कारण क्या है ? जिन आदिवासियों की जमीन छोड़ दी गई है, उसे तत्काल खरीदें। आदिवासियों की जमीन का जो एग्रीमेंट किया गया है, उसे शासन के नियमानुसार पूरा करें, अन्यथा आपके द्वारा दिया गया एडवांस का पैसा डूब जायेगा, क्योंकि आपको एडवांस दिये हुये पांच साल हो गये हैं और जिन्होने कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीन के बदले दूसरी जमीन खरीदी है, उन्होंने एक लाख एडवांस दिया था, और पांच साल हो गये उनके द्वारा दिया गया एडवांस डूब गया है, इसलिए आप जो पैसा दिये हैं वो भी डूब खाता में चला जायेगा। जिनकी जमीन आपने तीन लाख रूपये में खरीदी है, उन्हे वर्तमान दर के अनुसार आबंटन की राशि दी जावे। सभी प्रभावित किसानों को पुनर्वास का पैसा दिया जावे। गांव के शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार कंपनी में स्थाई नौकरी दी जावे। कंपनी लीज़ क्षेत्र के अंतर्गत गौकरण, शमशान घाट, चारागाह एवं आबादी क्षेत्र की जमीन है, यह सभी जमीन को छोड़ें अथवा उसके बदले दूसरी जमीन दें। गांव में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ण व्यवस्था की जावे, हम लोगों ने अपनी जमीन कंपनी को 15 लाख प्रति एकड़ में बेची है, वर्तमान में उस एक एकड़ में करोड़ो रूपये कमाये जायेंगे, तो उसके बदले मे जो रायल्टी आपको मिलेगी, उस माईन्स रायल्टी का पैसा गांव के प्रभावित सभी किसानों को बोनस के तौर दिया जावे। सीएसआर के तहत जो भी कार्य किया जा रहा है, वह गांव के लोगों को दिया जावे। सबसे पहले गांव के निवासियों को प्राथमिकता दें, उसके बाद बाहर के किसी भी व्यक्ति को नौकरी दी जावे। कंपनी में 20 साल से जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट किया जावे। ग्राम गुमा से पौंसरी मार्ग होते हुए बलौदाबाजार रोड को भविष्य में कभी भी बंद न किया जावे। हमारी इन सभी मांग को यदि आप पूर्ण करते हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं, गांववासी हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपके संयंत्र का सहयोग करते रहेंगे। उन्होने कहा कि यहां पर्यावरण से संबंधित जनसुनवाई है, आज हमारे सामने एक परीक्षा की घड़ी है, एकता, संगठन, सकारात्मक सोच से हम कंपनी वालों को सोचने में मजबूर कर सकते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए हमें संगठित होना जरूरी है। कंपनी के साथ किसानों की हमेशा मीटिंग होनी चाहिए, खुले मंच में सबके सामने मीटिंग होनी चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान मीटिंग और सिटिंग से हो सकता है। कंपनी हमें पूर्ण विश्वास दिलाये कि

ग्राम के विकास का काम इसी तरह चलता रहेगा। कंपनी हमेशा हमे सहयोग करती रहे तो हम भी उनको सहयोग देते रहेंगे।

7 श्री शिवकुमार साहू, ग्राम गुमा ने कहा कि, मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूं क्योंकि इस खदान के खुलने से हमारे गांव के सभी नागरिकों को रोजगार मिलेगा, मैं इस जनसुनवाई के माध्यम से सयंत्र से अनुरोध करता हूं कि पहले प्रभावित किसानों को रोजगार प्रदान करें, यदि प्रश्न योग्यता का है, तो युवाओं को प्रशिक्षण देकर योग्य बनायें, इन्ही अपेक्षाओं के साथ सहयोग की आशा करता हूं एवं इसका स्वागत करता हूं।

8 श्रीमती योगिता साहू, ग्राम गुमा ने कहा कि, हमारी जमीन अल्ट्राटेक खरीद चुका है, लेकिन रोजगार नहीं मिला, जमीन चली गई रोजगार नहीं मिला, हम गांव से बेघर हो गये हैं, हमें हमारी जमीन के मूल्य के अनुसार काम दिया जावे। पूर्व में मोनेट की जनसुनवाई में मोनेट वालों ने कहा है कि जिनकी जमीन निकलेगी, उन्हे कंपनी नौकरी देगी, शासन का ऐसा नियम है, ये बातें हमारे बीच तथा हमारे डिप्टी कलेक्टर के समक्ष कही गई हैं, तो इस कंपनी पर भी यह नियम लागू होगा, हमारे गांव में पेयजल संकट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सीएसआर के माध्यम से निदान किया जावे।

9 श्री जागेश्वर साहू, ग्राम गुमा ने कहा कि, दिखावा नहीं होना चाहिए, जो भी कार्यवाही होनी है, स्पष्ट होनी चाहिये। हमारी मांग है कि, कलेक्टर साहब आये हैं तो समस्याओं का त्वरित निराकरण होना चाहिये।

10 श्री वर्मा, ग्राम छिराही ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा प्रस्तावित चूनापत्थर खदान में गुमा ग्रामवासियों को आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की योग्यता के अनुरूप पहली प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जावे, उसके पश्चात आसपास के गांव जिसमें ग्रासिम के 10–11 गांव हैं, उनको वरीयता के आधार पर नौकरी दी जावे, तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के निवासियों को नौकरी दी जावे, इसके बाद ही बाहरी लोगों को नौकरी दी जावे। सबसे पहले लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों को मिलना चाहिए और इसमें पहली वरीयता गुमा गांव की होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूं। इस परियोजना से गांव का विकास होगा गांव के लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा।

11 श्री प्रदीप वर्मा, ग्राम गुमा ने कहा कि, गुमा गांव में जो माईन्स प्रस्तावित है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं और कंपनी से यही अनुरोध करता हूं कि गुमा गांव के जितने भी बेरोजगार भाई है उनको नौकरी दें, मेरा अनुरोध है कि यदि किसी के पास निर्धारित योग्यता नहीं है, तो उनको प्रशिक्षित करें, ट्रेनिंग करायें और उनको नौकरी दें, और फिर यहां पर माईन्स लगायें।

12 श्री सुरेश कुमार ध्रुव, ग्राम गुमा ने कहा कि, पांच वर्ष पूर्व हम जमीन कंपनी को बेच चुके हैं और कंपनी हमारी जमीन खरीद चुकी है। आप जमीन ले चुके हैं, 15 लाख दे दिये हैं, हमारे गांव में कारखाना खुलेगा तो हमें रोजगार मिलेगा। आज हमें इंतजार करते हुये पांच साल हो गये, किंतु रोजगार नहीं मिला। रोजगार मिलने की उम्मीद में जमीन दी गई थी, आज पांच साल निकल गया, इस सवाल का जवाब कौन देगा ? फैसला तुरंत होना चाहिये, तभी जनसुनवाई का महत्व है। तत्काल निष्कर्ष निकलना चाहिये, आपत्तियों को फाईल में दबा दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

13 श्री रामलाल यदु ने कहा कि, अल्ट्राटेक सीमेंट के आने से बहुत लाभ हुआ है, जगह जगह रोड बन गई, कांक्रीटीकरण हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट और गांव वाले दोनों शांति से मिलकर काम करेंगे, तभी काम होगा।

14 श्री नोखराम साहू, ग्राम गुमा ने कहा कि, हम सब यहां आकर बोल रहें हैं, लेकिन साहब लोग आये हैं, वे कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, हम यहीं बैठे रह जायेंगे और साहब लोग गाड़ी लेकर चले जायेंगे, जमीन तो खरीद ली गई है, लेकिन खरीदने के बाद आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, तीन लाख रूपये में जमीन खरीदी गई है, रजिस्ट्री नहीं हुई है तो किसानों को 15 लाख रूपये मिलना चाहिये, और पुर्नवास के साथ नौकरी दें यही मेरी कामना है।

15 श्री झालेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि, मैं अल्ट्राटेक में वर्कर हूं और मुझे जमीन के बदले नौकरी मिली है, मैं परियोजना का समर्थन करता हूं, और जो बेरोजगार भाई यहां उपस्थित हैं, वे सभी अपनी मांग यहां रख सकते हैं। प्रावधानों के अंतर्गत 30 प्रतिशत राशि को गांव के विकास में व्यय करना चाहिये।

16 श्री मुकेश साहू, ग्राम गुमा ने कहा कि, मैं कंपनी में ठेकेदारी करता हूं, मेरी भी जमीन ली गई है, पांच वर्ष हो गये हैं, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिला, गांव के तीन–चार लोगों को नौकरी दी गई है, जब उन लोगों को नौकरी मिल सकती है, तो मुझे क्यों नहीं दी गई, गांव के जितने भी बेरोजगार भाई हैं, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि जितने भी बेरोजगार हैं, उन सभी को नौकरी दी जावे इसके बाद ही जनसुनवाई का प्रस्ताव रखा जायेगा। मैं भी आईटीआई कर चुका हूं, एपरेंटिस भी किया हूं लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली है, मेरे बेरोजगार साथियों को भी नौकरी नहीं मिली है, चार लोगों को नौकरी, अन्य को नहीं, ऐसा क्यों, इसका जवाब दीजिए उसके बाद ही मैं जाउंगा।

अपर कलेक्टर श्री कल्याणी ने कहा कि आप लोगों द्वारा कही गई बातों का निष्कर्ष, जवाब दिया जावेगा। उन्होने उपस्थित जनसमूह को अवगत कराते हुये कहा कि पहले आप सभी अपने विचार व्यक्त कर लें, फिर कंपनी के प्रतिनिधि जवाब प्रस्तुत करेंगे, ऐसी प्रक्रिया है।

17 श्री साखुराम साहू, ग्राम गुमा ने कहा कि, मैं भी एक बेरोजगार हूं और आप लोगों की तरह एक कृषक का पुत्र हूं, जमीन किसान की मां है, इन लोगों ने मां को भी हमसे छिन लिया है। आदरणीय कलेक्टर महोदय से अल्ट्राटेक से बार–बार प्रार्थना है कि मैं भी आईटीआई किया हूं आज 10 साल हो गये और इन 10 वर्षों में यहां ग्रासिम, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक कई संयंत्र खुल गये, मेरे पास इतना बायोडाटा पडा है कि पेटी में भी नहीं आ पायेगा, मेरे जैसे बेरोजगार भाई बन्धु भी है बायोडाटा लेकर बैठे हैं, कंपनी के लोग बोलते तो जरूर हैं कि मैं सर्विस दूंगा मैं नौकरी लगाउंगा, हम लोग भोले–भाले हैं, इनके बहकावे में आ जाते हैं, मुझे आज दस साल हो गये, डबल एम.ए. हूं, आईटीआई हूं, चार कंपनियों में अपरेंटिस कर चुका हूं। दूसरी बात आज हमारे गांव में हमारे आदिवासी किसान भाईयों की जमीन लाख रू में लटका दी गई है, मैं प्रार्थना करता हूं कि गरीब भाईयों की जमीन प्रेमपूर्वक खरीद लें। चारागाह, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था करें, बेरोजगारों को प्राथमिकता दें।

18 श्री रागेश्वर साहू ने कहा कि, अब हमें जवाब चाहिये, सभी बोल चुके हैं, जैसा हम सभी चाहते हैं, वैसे ही कार्य किया जावेगा तो हम आभारी रहेंगे।

19 श्री भुवनेश्वर यादव ने कहा कि, यहां अभी जितने लोग बोल रहे हैं, उसे लिखा जा रहा है, किंतु इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है, हमें अभी लिखित में जवाब चाहिए, मैं इलेक्ट्रानिक ब्रांच में इंजीनियरिंग किया हूं, मेरे जो गरीब भाई बोल रहे हैं उसे एक रजिस्टर में लिखा जा रहा है, उसके बाद उसको एक जगह स्थापित कर लिया जायेगा, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होती, मैं इसका कारण भी बता रहा हूं, यहां हमारे कलेक्टर महोदय भी आये हुए हैं, अन्य अधिकारी भी आये हुए हैं, हम उनसे दुबारा मुलाकात नहीं कर पायेंगे, यह हमारी पहली और अंतिम मुलाकात है, क्योंकि यदि आप उनसे दुबारा कुछ पुछने जायेंगे तो

आपको गेट के अंदर जाने नहीं दिया जायेगा। इसिलिए मैं चाहता हूं कि जो भी कार्यवाही होगी, उसे यहीं लिखित में दिया जावे। आपको अभी आश्वासन तो मिल जायेगा, लेकिन यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो हम कहा जायेंगे, यहां जो भी कार्यवाही हो रही है उसको लिखित में दे ताकि समाचार पत्र, टेलीविजन के माध्यम से हम प्रसारित कर सकें। हमें जो वादा किया गया था ये राजनीति है, राजनीति में वादे तो कर दिये जाते हैं, लेकिन निभाना बहुत कठिन होता है। मैं इंजीनियरिंग किया हूं, फस्ट डिविजन हूं, नौकरी टैलेन्ट को देखकर लगाना चाहिए, जितने भी भाई लोगों की जमीन निकली है, वे सभी लिखित में ले कि हमे नौकरी चाहिए और परमानेंट नौकरी चाहिए, और उसमें कलेक्टर साहब का साईन लीजिए। जब मोनेट प्लांट आया था तब यह कहा गया था कि, जिसकी हम जमीन लेते हैं, उसे परमानेंट नौकरी दी जावेगी, ऐसा नियम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आदिवासी भाईयों का काम रूका हुआ है, क्योंकि वे लिखित में नहीं लिये हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, उड़ीसा, बिहार से सब को ले लिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जहां भी देखा हूं प्लांट में अधिकतर बाहर के लोगों को ही लिया जाता है, छ.ग. के लोगों को प्रशिक्षित करके काम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। औद्योगीकरण का मतलब रोजगार होता है, यदि रोजगार ही नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा है।

20 श्री कमलेश कुमार साहू, सरपंच गुमा ने कहा कि, आज हमारे गांव में अल्ट्राटेक की जनसुनवाई रखी गई है, मेरी जानकारी के अनुसार पेड़–पौधे, खेत की फसल आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आज की जनसुनवाई में एक बात आई है कि, आदिवासियों की बची हुई जमीन का काम पूरा होना चाहिये, क्योंकि वे लोग चार वर्षों से भटक रहे हैं, मेरे पास भी आते हैं, साथ ही सामान्य लोगों की जमीन का काम भी पूरा होना चाहिये। मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूं, लेकिन रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। गांव में माईन्स आरंभ होती है, तो गांव के व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकांश गरीब लोगों की जमीन निकली है, उन्हे नौकरी मिलनी चाहिए। मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं, मेरी यही प्रार्थना है कि गरीब आदमी जिसकी जमीन निकली है उसे नौकरी दी जावे, हम भी चाहते है कि यहां माईन्स आरंभ हो, अल्ट्राटेक का विकास हो रहा है, जो भी मांग की गई है, उसे धीरे–धीरे पूरा किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुआ है, सी.सी. रोड बनाया गया है, पेयजल और स्कूल का भी काम किया गया है। एक ही मुद्दा है, मैं बार–बार निवेदन कर रहा हूं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जावे, तो माईन्स का कोई विरोध नहीं करेगा। सभी को रोजगार दें, योग्यता के आधार पर दें, मैं विरोध नहीं करूंगा, सबकी मांग है कि रोजगार मिलना चाहिये। हम जमीन दे चुके हैं, आप जमीन ले चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रोजगार उपलब्ध करायें, हर आदमी को संतुष्ट करें, किसी को उदास न करें, क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति की जमीन भी निकली है। आज मेरे पास 15 एकड़ जमीन है, लेकिन रोजगार भी जरूरी है, मुझे कंपनी से कोई समस्या नहीं है, सिर्फ रोजगार और जिसकी जमीन छुटी है, उसे लिया जावे, क्योंकि सभी जमीन आप ले चुके हैं, मात्र आदिवासियों की जमीन रह गई है। शुरूआत में किसी की एक एकड़, दो एकड़, 60 डिसमिल, 65 डिसमिल जमीन 3 लाख रूपये की दर से ली गई है, उन लोगों को 15 लाख रू. की दर से मुआवजा दिया जावे।

21 डॉ0 के.एन. मढ़रिया, ग्राम गुमा ने कहा कि, अभी सरपंच ने जो बाते कहीं हैं, मैं उन बातों का समर्थन करता हूं, इस क्षेत्र में अभी अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, लाफार्ज, अम्बुजा और ईमामी सीमेंट हैं, ईमामी का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, मेरी जानकारी के अनुसार सैकड़ों लोग डेलीवेजेस और स्थाई नौकरी कर रहे हैं, तो कम से कम जो नौकरी कर रहें हैं, उनका भविष्य बन रहा है, माईन्स लगने पर योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए, यहां सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र भी चल रहा है। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के तहत रॉयल्टी

का 30 प्रतिशत, जो लगभग 7 करोड़ रूपये है, ये छोटी रकम नहीं है 7 करोड़ जो कि ग्राम विकास में खर्च होना है इस संबंध में रूरल डेव्लपमेंट ऑफिसर से मैं निवेदन करता हूं कि अपने उद्‌बोधन में इसे स्पष्ट करें, ताकि ग्रामवासी जान सके कि 7 करोड़ रूपये किस परियोजना में, किस मद में व्यय किया जावेगा, और ग्रामीण विकास में किस ढंग से इसका उपयोग किया जावेगा। जिन आदिवासियों की जमीन बच गई है, उसे लिया जावे और और योग्यता के अनुसार नौकरी दी जावे। ग्रामीण विकास में नल–जल योजना, सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, आगे भी चलते रहना चाहिए, तो इस हिसाब से यदि अल्ट्राटेक और ग्रामीणों के मध्य अच्छा तालमेल हो जावे, तो बहुत मजा आ जायेगा और माईन्स का काम भी अच्छा चलेगा।

22 श्री लीलेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि रोजगार के संबंध में अभी कंपनी वालों ने कहा कि रोजगार मिलेगा, ग्रासीम सीमेंट वर्ष 1994–95 के आस–पास से यहां स्थापित है, जिसके अंतर्गत रावन, चुचरूंगपुर आदि गांव हैं, लेकिन अभी तक इन गांवों के मात्र 5 से 10 प्रतिशत लोगों को ही नौकरी मिली है, गुमा में जो भी कार्यवाही हो रही है वह आनलाईन होनी चाहिए ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर उपयोग की जा सके और बेरोजगारों को योग्यता के अनुरूप रोजगार मिलना चाहिए गुमा के आदिवासियों की जमीन की अंतरराशि जोड़कर 15 लाख रूपये का पांच साल के हिसाब से 60 लाख रूपये मिलना चाहिये।

23 श्री वेदप्रकाश साहू, ग्राम गुमा ने जानना चाहा कि यह जनसुनवाई कब होती है, किस स्थिति में होती है, जनसुनवाई जमीन लेने के बाद में होती है अथवा पहले होती है, जवाब चाहिये कि लोक सुनवाई कब होती है ? यह संयंत्र नहीं षड़यंत्र है। कंपनी वाले बहुत बड़े राजनितिज्ञ होते हैं, ये बाहर से आये हैं, व्यापारी हैं, इनका उद्‌देश्य है खिलाव, पिलाओ और लूटो। पर्यावरण के संबंध में कक्षा 5 वीं से पढ़ाया जा रहा है, कोई नहीं जानता कि पर्यावरण क्या है।

अपर कलेक्टर महोदय ने उक्ताशय के सबंध में कंपनी प्रबंधन को जवाब देने हेतु निर्देशित किया।

प्रबंधन की ओर से श्री के.वी. रेड्‌डी ने कहा कि, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह 'ए' श्रेणी की परियोजना है। 'ए' श्रेणी की परियोजना होने की दशा में आवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार से टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी होने के बाद अध्ययन करके प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही कराई जाती है। अधिसूचना में जमीन खरीदने के पहले अथवा बाद में जनसुनवाई किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जनसुनवाई में सबसे अहम मुद्‌दा रोजगार का है, योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो भी नियम बनाया जायेगा उन नियमों का पालन होगा, जमीन से संबंधित मुद्‌दा शीघ्र ही सुलझा लिया जावेगा। गत वर्ष गांव में पानी की समस्या थी, हम आपके साथ थे। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के तहत रॉयल्टी की 30 प्रतिशत राशि जिला कलेक्टर के माध्यम से गांव के विकास में खर्च की जावेगी।

24 श्री वेदप्रकाश साहू ने पुनः कहा कि, गलती गांव वालों की है, पहले यदि लाख रूपये की बात की जाती थी तो गांव वाले बेहोश हो जाते थे, इसलिये 3 लाख रूपये में अपनी जमीन दे दिये, रजिस्ट्री में क्या लिखा जा रहा है, यह देखे बिना जमीन बेच दी गई। मेरी 16 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री के समय मैने रजिस्ट्रार से पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो रजिस्ट्रार ने कहा कि आपके गांव के 10 एकड़, 15 एकड़ जमीन देने वालों ने पूछताछ नहीं की, और आप पूछ रहे हैं। गांव के चारों तरफ की जमीन ली गई, मेरी आधा एकड़ जमीन नहीं खरीदी गई।

25 श्री मुरारी मिश्रा ने कहा कि, मैं यहां पर इस क्षेत्र की भावना, गांव के युवा रोजगार पाने के लिए बोल रहे हैं, उनके समर्थन मे मैं खड़ा हूं। जनसुनवाई में हम सब अपनी बात रखते हैं, और जहां तक इस क्षेत्र की बात है, माईन्स के विरोध में कोई नहीं है। विरोध का कारण मात्र यही है कि, क्षेत्र के पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया रोजगार के लिये भटक रहे हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, क्षेत्र का विकास ठीक से नही हो रहा है, आज हर एक गावं में 4–5 इंजीनियर हैं उनको क्यों नहीं लिया जाता। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) फंड के तहत् 7 करोड़ रूपये खर्च करने की बात की जा रही है, लेकिन आप 7 करोड रू खर्च कैसे करेंगे, इसका उत्तर आपने नहीं दिया। कहा जा रहा कि, क्षेत्र में खर्च होगा ये आप अपनी मर्जी से खर्च न करें, जहां तक मैं देख रहा हूं चाहे अम्बूजा हो ग्रासिम हो चाहे इमामी हो चाहे लाफार्ज हो रायपुर में करोड़ो रूपये खर्च करते हैं, इसका मैं विरोध करता हूं, हमारे क्षेत्र की खदान हमारे क्षेत्र की फैक्टी और खर्चा रायपुर में ये नहीं चलने देंगे। इसके लिये आप एक टीम बनाईये क्षेत्र की और उसकी नियमित मिटिंग होनी चाहिये। आप बोलते है रोजगार देंगे आप ये बताईये कि, क्या आप दो महीने, तीन महीने में इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मीटिंग करते हैं, आज जनसुनवाई है, यह जनसुनवाई पहले से निर्धारित है, यह पर्यावरण विभाग की जनसुनवाई है, आप ने क्या मेकानिज्म बनाया है कि, जो बोला जा रहा है और जो लिखित में दिया जा रहा है, वह पूरा किया जा रहा कि नहीं, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप एक मेकानिज्म बनायें कि हर तीन महीने में किस बेरोजगार को नौकरी दी गई। कितने लोगों को यहां प्लांट में नौकरी दी गई है, अभी हमारे पास यह रिकार्ड उपलब्ध नहीं है कि क्षेत्र की 6–7 कंपनियों में कुल कितने व्यक्ति रोजगार में हैं, और यहां स्थानीय छत्तीसगढ़िया कितने हैं, कृपया यह रिपोर्ट हमको दी जानी चाहिए कि सभी फैक्ट्रीयों में कितने लोग रोजगार में हैं और वो कहां के लोग हैं, डीएमएफ के तहत 7 करोड़ रूपये अलग हैं, सीएसआर एक्टीविटी अलग है, आप बोलते हो रोजगार देंगे, मैने तो नहीं देखा कि किसी फैक्ट्री वालों ने किसी बेरोजगार युवक के लिये दुकान खुलवाया हो, ठीक है आप सीसी रोड बनाओ, आप भवन बनाओ, आप स्कूल बनाओ, पीने का पानी दो, लेकिन इससे गरीबी का स्तर उपर नहीं उठता, गांव जरूर उपर उठता है। सीएसआर एक्टीविटी से विकास करो और जो 7 करोड़ रूपये का फंड है इसके लिये मेरा प्रस्ताव है शासन से कि इस राशि से जिस आदमी को रोजगार नहीं दे सकते उस आदमी को लोन देकर स्वरोजगार दो, बिना ब्याज के लोन दिया जावे, जिला प्रशासन इस पैसा का मालिक है। विधायक महोदय बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि विधानसभा में प्रस्ताव लगना चाहिए, विधानसभा में पुरी रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिये कि कितने छत्तीसगढ़िया, कितने गांव के आदमी रोजगार कर रहे हैं और जो डीएमएफ फण्ड है उससे प्रत्येक गरीब को आप बिना ब्याज के लोन दो, फिर आप देखिये कितना समर्थन मिलेगा। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, ये मेरा विचार है कि जो फैक्ट्री प्रदूषण नहीं फैलाती, ऐसी फैक्ट्री के लगने से आदमी का जीवन स्तर उपर उठता है, गांव का विकास होता है, आज देश के बड़े–बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री फैक्ट्री लगाने दुनिया में सहयोग मांग रहे हैं, मैं भी ईमानदारी से अपने गांव के विकास के लिए, अपने गरीब के विकास के लिए, रोजगार देने की शर्तों के साथ खदान को सहमति प्रदान करता हूं और जो हमारे गांव–घर का विकास करे, गरीबों का विकास करें, गांव की सहमति से फिर जितना उद्योग लगाना है लगायें।

26 श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा जिला पंचायत रायपुर ने कहा कि हमारे आसपास उद्योग लगे हैं और उन उद्योगों की कार्य प्रणाली हम लगातार देख रहे हैं, अभी मुरारी भाई की बात हमने सुनी, निश्चित रूप से उद्योग लगने चाहिए, लेकिन उद्योग लगाने के साथ ही उद्योग चलाने के नियम भी बनायें, और उन नियमों के पालन की जिम्मेदारी उद्योग के साथ–साथ, जिला प्रशासन की भी होनी चाहिये। अभी कुछ भाई जमीन के संबंध में अपनी बात रखे हैं, जमीन आपको दी गई है। यदि जमीन दलालों के माध्यम से बेची गई है, और यदि जमीन का सहीं मूल्य नहीं मिलता है, तो जिला प्रशासन को इस संबंध में संज्ञान लेना

चाहिये, कि वास्तव में किसान को राशि मिलनी है, वह राशि पुनर्वास सहित उनके खाते में जा रही है अथवा नहीं, क्षेत्रीय सरपंच को भी इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिये। आज पर्यावरण के संबंध में यह जनसुनवाई हो रही है, उद्योग लगने से क्षेत्र में वायु प्रदूषण होगा, इस प्रदूषण का सबसे पहले प्रभाव वहां पड़ेगा, जिस गांव में माईन्स लगी है, और यह गांव के निवासियों का अधिकार है कि, जो भी फायदा कंपनी से मिल रहा है, वह संबंधित गांव को मिले, पहली प्राथमिकता जिनकी जमीन गई है, उनको रोजगार मिले, फिर गांव के जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको प्राथमिकता दें। माईन्स से ध्वनि प्रदूषण भी एक समस्या है, गाड़ियां चलेंगी, बड़े–बड़े संयंत्र लगेगें, जिनसे ध्वनि प्रदूषण होगा, इन सभी के लिये क्या उपाय किये गये हैं, अल्ट्राटेक के दो ग्रुप हैं, हिरमी रोड से हम जब भी गुजरते हैं, मेन रोड में स्कूल के सामने टरबाईन की आवाज आती है, यह टरबाईन रात भर चलता रहता है, इससे बच्चों की पढ़ाई में परेशानी होती है और साथ ही कान खराब होने की संभावना रहती है। इन सभी बातों का कंपनी को ध्यान रखना चाहिये। आर्थिक और सामाजिक ह्रास भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। मुझे मालूम है इस इन्डस्ट्री में 100 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मतलब 100–150 लोगों की जगह है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जब भिलाई स्टील प्लांट लगा, तब आस–पास के गांव के युवाओं को रोजगार मिला, आज हमारे क्षेत्र में 5 प्लांट लग गये हैं, ये 5 प्लांट मिलकर इस बलौदाबाजार जिले में कौशल विकास क्यों नहीं करते हैं, बलौदाबाजार जिला सम्पन्न जिला है क्या एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट नही है, जो प्रशिक्षण देकर युवाओं को सक्षम बनाए, क्यों हमारे युवा वांछित स्तर के अनुरूप नहीं हो सकते, अल्ट्राटेक बड़ा ग्रुप है, पूरे देश में इसका नाम है, और मैं चाहती हूं कि यह ग्रुप फिर से माईन्स का काम गुमा गांव में करने जा रहा है, तो यहां एक टेक्निकल इन्सटीट्यूट लगाये, जिसमें बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सके, उसके बाद उन बच्चों को कंपनी में लिया जावे। नौकरी की सुविधा मिलनी चाहिये। मुझे विश्वास है आने वाले समय में अल्ट्राटेक सीमेंट इन मांगों को पूरा करेगी। आदिवासियों की जमीन के संबंध में शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि, यदि उनकी जमीन कोई दूसरा व्यक्ति लेता है तो, उनके पास निर्धारित जमीन होनी चाहिय, यह एक बड़ा प्लांट है और यहां पर्यावरण की सुनवाई हो रही है, लगभग 32 किसानों की जमीन जिसमें वे आज खेती कर रहें हैं, फिर भी जमीन उनके नाम में दर्ज नहीं हुई है। भविष्य में उनके बाद की पीढ़ि भटकती रहेगी।

27 श्री सुखनंदन साहू, ग्राम गुमा ने कहा कि, मैं भी बेरोजगार हूं बेरोजगारी क्या होती है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जो भी अधिकारी यहां उपस्थित हैं, हमारी बातें सुन रहें हैं, मैं मुरारी भईया की बातों का समर्थन करता हूं, अल्ट्राटेक के प्रतिनिधि कहते हैं कि आदिवासियों की जितनी जमीन बची है, उनकी रजिस्ट्री हो जायेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि, पिछले साल आलू की कीमत 5 रूपये थी, और आज 20 रूपये किलो है, पांच साल पहले 15 लाख में बेचे हैं, क्या पांच साल पहले की कीमत पर जमीन को दिया जाना चाहिये। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि, इन बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जावे, हमारी जमीन, और हम ही दर–दर की ठोकरें खा रहें हैं, भूखों मर रहें हैं, क्या ऐसा ही होता है, 15 लाख रूपये में रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिये। पहले 15 लाख रूपये और इसके अतिरिक्त पुनर्वास का भी पैसा मिलना चाहिये। गुमा में 110 आदमी बेरोजगार हैं, आप कहते हैं कि 100 लोगों को लिया जायेगा, शेष 10 आदमी कहां जायेंगे, 5 साल तक मैं भी अल्ट्राटेक में काम किया हूं, साहब से संपर्क करने पर कहा जाता था कि, आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है।

28 श्री जनकराम वर्मा, मान्नीय विधायक बलौदाबाजार ने कहा कि, सीएसआर का पैसा आस–पास के संबंधित गांव में खर्च होना चाहिए, विधायक बनने के बाद सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्रीजी से कहा था कि, कंपनियों का पैसा रायपुर में लगा दिया जाता है, संबंधित

गांवों का कोई विकास नहीं होता है। 25–30 वर्षों से कंपनी चल रही है पर जहां तक विकास की बात है, जितना विकास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। सरपंच के साथ मिलकर तय करें, कि आपका टर्नओवर कितना है, कितना पैसा जमा करना है और सरपंच के माध्यम से गांव के विकास का काम किया जावे। निश्चित रूप से हमारा यही कहना है कि काम तो होना चाहिए, साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, आज कई उद्योग लग रहे हैं और हजारों बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, संबंधित जिले के लोगों को नहीं लिया जा रहा है, यह तकलीफ की बात है, जिस जगह से कंपनी को जमीन दी गई, निश्चित रूप से वहां के निवासियों काअधिकार बनता है, कि उन्हे रोजगार मिले। आदिवासियों की जमीन के संबंध में मैं दो तीन बार कलेक्टर के पास जाकर चर्चा किया हूं कि, जब कंपनी लगाने का एमओयू शासन द्वारा किया गया है, तो आदिवासियों की जमीन की अनुमति दी जानी चाहिये। एक लाख, दो लाख रूपये बयाना दिया जाकर तीन–चार वर्षों से आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई है, कारण बताया जा रहा है कि, कलेक्टर से अनुमति नहीं मिली है। उद्योग लगना चाहिये, समर्थन है किंतु कंपनी से विशेष अनुरोध है कि पर्यावरण पर भी ध्यान देना चाहिए, वृक्षारोपण करें, बड़े वाहनों के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इन सभी बातों की जिम्मेदारी कंपनी की है।

29 श्री परमेश्वर यदु ने कहा कि, बहुत सी बातें हम सभी के मध्य आई हैं, मैं समझता हूं कि कही ना कही उद्योग के प्रति असंतोष दिखा, मैं चाहता हूं जहां पर भी उद्योग लग रहा हो, वहां के वातावरण में अमन शांत होनी चाहिए, मैं उद्योग के पक्ष में हूं, लेकिन उद्योग लग रहा है तो आसपास अमन शांति होनी चाहिए, यह कंपनी की जिम्मेदारी है। किसानों की जमीन खरीदी गई है, बहुत से आदिवासी साथियों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, जमीन के संबंध में मेनेजमेंट और किसान को साथ में बैठकर तय करना चाहिए, रोजगार की समस्या को हल किया जाना चाहिये, यहां माईन्स लगाया जा रहा है, और रोजगार की आवश्यकता है, प्लांट वालों ने कहा है कि, लगभग 100 लोगों की जरूरत है, हमारे गुमा के भाई ने कहा कि यहां 110 बेरोजगार हैं, बड़ा प्लांट है 5–10 लोगों को समायोजित किया जा सकता है, प्लांट के आसपास अमन–चैन, शांति होनी चाहिए।

30 श्रीमती सीमा वर्मा, ग्राम झीपन ने कहा कि, हम सभी किसान हैं, हमने अपनी पुरखों की जमीन जिसके हम मालिक थे, उसे कंपनी को बेच दिये हैं, सबसे पहली गलती तो हमारी है, आज हम मालिक से मजदूर बन गये हैं। एक खेत के उपर दूसरा खेत नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक मंजिल के उपर दूसरी मंजिल बनाई जा सकती है, हमारे पास मात्र खेत ही था, जिसे हमने कंपनी को दे दिया है, और उसी खेत पर कंपनी अपनी तरक्की कर रही है। तीन मूलभूत आवश्यकतायें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और आज हम इन तीनों चीजों से वंचित हो गये हैं, खदान क्षेत्र में बहुत से पेड़ लगे हैं, अनेकों प्रकार के गुणों वाले पेड़ हैं, यदि ये उत्खनन क्षेत्र में पेड़ काटते हैं, तो क्या उतने ही पेड़ लगाये जायेंगे, वृक्षों से वायु, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, जल का स्तर बढ़ता है।

31 श्री रामगोपाल यदु, ग्राम गुमा ने कहा कि, अपर कलेक्टर महोदय ने कहा कि जनसुनवाई का समय समाप्त हो चुका है, हम कैसे मानें कि लोक सुनवाई समाप्त हो चुकी है, हम तब तक नहीं जायेंगे, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है।

32 श्री खेमलाल ध्रुव, ग्राम गुमा ने कहा कि, अल्ट्राटेक में कितने लोग छत्तीसगढ़ के हैं, स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिये। कंपनी में बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाता है, जनसुनवाई में नौकरी के बारे में बात की गई, जमीन के संबंध में बात आई, सबकी सोच है कि, गांव का विकास होना चाहिये, गांव के तालाब का

पानी खराब हो गया, सबसे पहले तालाब के पानी को साफ किया जाना चाहिये, घर–घर में शौचालय बनाया जाये, इस हेतु शासन द्वारा मिल रही राशि 12,000 रूपये कम पड़ते हैं, तो कंपनी द्वारा उसमें कुछ अंशदान किया जा सकता है, पेयजल की सुविधा होना चाहिए, अभी कंपनी ने बोर करवाया है, लेकिन पंप नहीं लगा है, अभी भी पानी की बड़ी समस्या है, यह सब सुविधायें शीघ्र पूर्ण होनी चाहिये।

33 श्री भगवानदीन वर्मा ने कहा कि, कंपनी परिसर स्थित पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, बैंक, हॉस्पीटल में जाते हैं, तो पूछा जाता है कि, जूता है क्या, हेलमेट है क्या, बैंक में पैसा जमा कराने जाने, या हॉस्पीटल में इलाजा करवाने जाते हैं, तो रोक दिया जाता है।

34 श्री हेमकुमार ध्रुव, उपसरपंच ग्राम गुमा ने कहा कि, गांव के तालाब का पानी साफ कराया जावे, गांव में सेप्टिक टैंक बनाया जावे, पेयजल की समस्या का समाधान होना चाहिये।

35 श्रीमती लक्ष्मी बघेल ने कहा कि, आज अल्ट्राटेक सीमेंट के माईन्स के विस्तार की जनसुनवाई का कार्यक्रम गुमा गांव में रखा गया है, हम सभी 11 बजे से लगातार हमारे गुमा वाले भाईयों की बात को सुन रहे हैं, मैं दो साल पहले विधायक थीं, तब इनको मैंने कलेक्टर से मिलाया था, कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया था, कि इनकी जो भी समस्यायें है जल्द ही दूर कर दी जायेंगी, लेकिन आज तक हमारे भाई लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैं कंपनी प्रबंधन से निवेदन करना चाहती हूं कि, जो खाताधारी किसान भाई हमेशा के लिए अपनी जमीन दे चुके हैं, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं हैं, निश्चित रूप से इनको प्राथमिकता दी जावे। गुमा गांव आपकी गोद में नहीं है, गुमा गांव की गोद में अल्ट्राटेक कंपनी है, और कंपनी की खदान है, निश्चित रूप से गुमा गांव को पहली प्राथमिकता दें।

अंत मे अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि योग्यतानुरूप स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जावे, प्रभावित लोगों का अधिकतम कल्याण करें, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करायें, जो योग्य नहीं हैं, उन्हे प्रशिक्षित कर कौशल विकास करें, पेयजल से संबंधित समस्या का निराकरण करें तत्पश्चात जन सुनवाई की कार्यवाही समाप्त हुई।

यह लोक सुनवाई प्रातः लगभग 11:12 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 02:35 बजे संपन्न हुईं। लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान तथा लोक सुनवाई के पश्चात कुल 17 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(एम. कल्याणी)
अपर कलेक्टर
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)